न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 10/2017 (225 आरटीए) परबतसिंह वगै. बनाम भंवरलाल वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00245)

1 परबतसिंह पुत्र श्री आसकरण उर्फ आसूसिह,
2 महीपालसिंह पुत्र श्री आसकरण उर्फ आसूसिंह,
3 श्यामकंवर पुत्री आसकरण उर्फ आसूसिंह,
4 दयालकंवर पत्नी आसकरण उर्फ आसूसिंह
सभी जाति बारठ निवासी जालीवाड़ाखुर्द तह. पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 भंवरलाल पुत्र सोनाराम,
2 मलाराम पुत्र सोनाराम,
3 मुलतानराम पुत्र सोनाराम,
4 बक्षाराम पुत्र सोनाराम,
5 भीकाराम पुत्र सोनाराम,
6 गणपतराम पुत्र सोनाराम
जाति माजी निवासी जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
प्रफोर्मा रेस्पोडेंट :–
7 हेमाराम पुत्र लाबूराम,
8 गेदाराम पुत्र लाबूराम,
9 मुकाराम पुत्र लाबूराम,
10 बलदेवराम पुत्र लाबूराम,
11 अमराराम पुत्र लाबूराम,
12 चेतनराम पुत्र लाबूराम
जाति माली निवासी जालीवाड़ा खर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
13 भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 06.12.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 562/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री आबड़दान उज्जवल।
2 1, 2, 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।

6/2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3 रेस्पो. सं. 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 3 व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5 रेस्पो. सं. 7 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 562/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 562/2015 पेश किया कि उनकी संयुक्त खातेदारी कब्जा सुदा जमीन ग्राम जालीवाड़ा खुर्द की राजस्व सीमा में खसरा नं. 215/1 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी आई हुई है। प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खातेदारी कब्जा सुदा जमीन खसरा नं. 215/1 में आने जाने हेतु जालीवाड़ा से रावनियाना जाने वाली ग्रेवल सड़क से होकर अपीलांट के खातेदारी जमीन खसरा नं. 213 के बीच में से होकर रेस्पो. सं. 7 से 12 के खेत खसरा नं. 214 में से पूर्व तरफ से होकर अपनी खातेदारी जमीन में आते जाते हैं तथा बैल छकड़ा, मवेशियान को ले जाने व ट्रेक्टर ट्रोली को लाने ले जाने हेत काम में ला रहे हैं। उक्त रास्ते को नजरी नक्शा मार्क ए–बी–सी–डी से दर्शाया गया है। रेस्पो. सं. 1 से 6 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कहा है कि वैकल्पिक रास्ता आने जाने हेतु नहीं हैं उक्त परिस्थितियों में रेस्पो. सं. 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। बाद तामील अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए व जबाब प्रस्तुत किया। जबकि रेस्पो. सं. 7 से 12 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। तथा उन्होंने प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया। अपीलांट्स ने रेस्पो. सं. 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया ताकि अपने जवाब में अपीलांट्स ने यह उल्लिखित किया कि रेस्पो. सं. 1 से 6 का प्रार्थना पत्र सारहीन व मिथ्या तथ्यों पर पर आधारित है इसलिए मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाने योग्य है। अपीलांट्स ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 से 6 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा यह प्रार्थना पत्र सिर्फ अपीलांट्स को तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो सद्भाविक नहीं हैं। अंत

में पक्षकारों की बहस सुन कर अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री आबड़दान उज्जवल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश संपूर्ण तथ्यों व पत्रावली पर मौजूद सामग्री का उचित विवेचन किए बिना पारित किया गया है जो धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सारवान मंशा के विपरीत है। हस्तगत मामले में रेस्पों सं. 1 से 6 के पास वन विभाग की भूमि से लगती सड़क के पास से होकर उनके खेत खसरा नं. 215/1 में आने जाने हेतु वैकल्पिक नजदीक रास्ता उपलब्ध है तथा वन विभाग से लगते सड़क जो खारिया आनावास रास्ता की सड़क के पास से अगर रास्ता लिया जावे तो यह रास्ता नजदीक होगा। परंतु रेस्पो. सं. 1 से 6 ने बदनियती पूर्वक यह प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह अपीलांट्स के खेत के बीच में से चाहा गया है जिससे उनका खेत कई खण्डों में विभक्त हो गया है व खेत की उपयोगिता नष्ट हो गई है। रेस्पो. सं. 1 से 6 ने रेस्पो. सं. 7 से 12 से दुरभिसंधि करके रास्ते की मांग की है क्योंकि प्रकरण में रेस्पो. सं. 7 से 12 सम्यक तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। रेस्पो. सं. 1 से 6 के पास ग्राम जालीवाड़ा रावनीयाना से जाने वाली कटाणी रास्ता से खसरा नं. 212 में से होकर रेस्पो. सं. 7 से 12 के खेत में से आता जाता है। तथा आगे रेस्पो. सं. 1 से 6 के खेत खसरा नं. 215 में आते–जाते हैं। प्रकरण के इन तथ्यों व परिस्थितियों में जब परंपरागत रूप से रास्ता उपलब्ध है तथा पीढ़ियों से उस रास्ते से आते जाते हैं, भले ही यह रास्ता राजस्व अभिलेख में लेखबद्ध न हो परंतु वास्तविकता में यह रासता उपलब्ध है तथा निरंतर काम में लिया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उक्त आपत्तियां उठाई गईं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन आपत्तियों पर कोई विवेचन नहीं किया। तथा प्रार्थीगण ने जैसा नक्शा बनाकर पेश किया वैसा ही रास्ता घोषित कर दिया। प्रकरण में कोई बहस नहीं सुनी गई सीधे ही आदेश पारित कर दिया गया। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज करने का निवेदन किया।

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5 1, 2, 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण/रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से खसरा नं. 213 के उत्तर से प्रारंभ होकर खसरा नं. 214 में होते हुए खसरा नं. 215 तक रास्ते की मांग की है। यही निकटतम रास्ता है जिसकी मांग की है। इसके लिए समझाइस भी की गई परंतु समझाइस से रास्ता नहीं देने के कारण धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में अपीलांट्स ने वनविभाग की तरफ से जो रास्ता निकटतम बताया है जबकि वन विभाग की भूमि प्रतिबंधित भूमि है वहां से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित निकटतम रास्ते का खण्डन नहीं किया गया है। अपीलांट्स के खेत के दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि मौके पर खसरा नं. 213 के मध्य में माट बनी हुई है तथा इसी रास्ते से आना जाना किया जाता है। अपीलांट्स ने जो भी आपत्तियां उठाई हैं उनका मौका जांच में कंसीडर कर लिया है अतः इस पर पृथक से कोई आदेश की आवश्यकता नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश के द्वारा दिया गया रास्ता निकटतम व धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार सही दिया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवदेन किया।

6 रेस्पो. सं. 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर खारिज की जा चुकी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्षकारान को मौके पर उपस्थिति रहने के लिए नोटिस दिया गया था जिसकी पालना में उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित हुए व मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि खसरा नं. 213 में ए–बी स्थान पर माट बनी हुई है एवं काश्तकार यहीं से आते–जाते हैं। मौके पर खातेदार महिपालसिंह पुत्र आसूसिंह उपस्थित थे। इस प्रकार तहसीलदार प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 213 में बीच में माट होने के कारण खेत को दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि खसरा नं. 213 मौके पर बीच में मांट होने से पहले से ही दो टुकड़ों में विभक्त है। इस प्रकार अपीलांट की यह आपत्ति कि अपीलाधीन आदेश से दिए गए रास्ते से खसरा नं. 213 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, स्वीकार योग्य नहीं हैं।

2019
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा दूसरी आपत्ति की गई है कि प्रार्थीगण के खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है लेकिन वैकल्पिक रास्ते के संबध में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। एक वैकल्पिक रास्ता जो वनविभाग की भूमि की तरफ से बताया जा रहा है वह प्रार्थीगण के खेत तक नहीं पहुंचता है इसलिए इसे वैकल्पिक उपलब्ध रास्ता नहीं माना जा सकता है। अपीलांट ने एक अन्य वैकल्पिक रास्ता ग्राम जालीवाड़ा रावनीयाना से जाने वाली कटाणी रास्ता से खसरा नं. 212 में से होकर रेस्पो. सं. 7 से 12 के खेत में से आता जाता है। तथा आगे रेस्पो. सं. 1 से 6 के खेत खसरा नं. 215 में आते–जाते हैं। लेकिन यह रास्ता भी प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 215/1 तक जाता हुआ प्रतीत नहीं होता है तथा इस संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। जबकि तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करके निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया है जो धारा 251क के अनुरूप होने से अधीनस्थ न्यायालय ने सही स्वीकृत किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट की आपत्तियों को विधिवत सुना जाकर उनका निस्तारण भी किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2016 यथावत रखा जाता है।

20/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर